रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092021-229563
CG-DL-E-11092021-229563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
No. 389] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

IndiaCode

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

सं.एन-10/12/2013-पीपीसी/पीबीआरबी- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (2) और धारा 11 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक और संबद्ध पद) सेवा विनियम, 2002 और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के विनियम, 2016 के अधिक्रमण में, जहां तक वे वरिष्ठ प्रशासनिक और संबद्ध पदों की श्रेणी के तहत उप निदेशक (प्रशासनिक प्रशिक्षण), कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल (कार्यक्रम) के पद से संबंधित हैं, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों के सिवाय, निगम केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक और संबद्ध पद) भर्ती विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- ये विनियम इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. वरिष्ठता - इन विनियमों के तहत नियुक्त कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य निर्देशों के अनुसार होगी।

6. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के आधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति- जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

8. व्यावृति - इन विनियमों से इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण।	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. उप निदेशक प्रशासन (मुख्यालय)	15*(2021) * पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी: पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह 'क' के समकक्ष	लेवल 11 (रू.67700-208700)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक व अन्य आवश्यक योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत होने की स्थिति में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध अथवा आमेलन सहित)

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में जिसमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना
11	12
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध या आमेलन सहित): केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन, स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 में (56100-17750 रुपये) या समान वेतनमान में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 9 में (53100-167800 रुपये) या उसके बराबर नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, और; (ख) सामान्य प्रशासन या स्थापना, मानव संसाधन विकास और कार्मिकों या कर्मचारियों के मामलों, सुरक्षा और सतर्कता में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले हों। **टिप्पणी 1**.- इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व किसी अन्य पूर्व संवर्ग बाहय पद पर केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2**.- प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3. -** आमेलन के लिए केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।	लागू नहीं है।

1	2	3	4	5	6
2. उप निदेशक प्रशासन (क्षेत्रीय कार्यालय)	16*(2021) * पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी: पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह 'क' के समकक्ष	लेवल 11 (रू.67700-208700)	चयन	लागू नहीं।

7	8	9	10
लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष	पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) **टिप्पणी**- पदोन्नति के लिए, एक विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को फीडर ग्रेड में दो श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा, अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जैसा कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

11	12
पदोन्नति: लेखा परीक्षक या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लेवल 8 (47,600-1,51,100 **रुपये)** पे मैट्रिक्स में छह साल नियमित सेवा के साथ**;** या सात वर्ष नियमित सेवा वाले पे मैट्रिक्स में लेवल **7 (44900-142400** रुपये) में प्रशासनिक अधिकारी। टिप्पणी:- जहां पर कनिष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहां उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा कि आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके कनिष्ठ जिनकी अर्हक पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):** केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन, स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 10 में (56100-17750 रुपये) अथवा समान वेतनमान में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 9 में (53100-167800 रुपये) या उसके बराबर नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, और; (ख) सामान्य प्रशासन या स्थापना, मानव संसाधन विकास और कार्मिकों या कर्मचारियों के मामलों, सुरक्षा और सतर्कता में तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले हों। **टिप्पणी 1.-** इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व किसी अन्य पूर्व संवर्ग बाहय पद पर केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती - **अध्यक्ष;** 2. संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - **सदस्य;** 3. महानिदेशक, आकाशवाणी - **सदस्य;** 4. महानिदेशक, दूरदर्शन - **सदस्य**

IndiaCode

1	2	3	4	5	6
3. लेखा परीक्षक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	45*(2021) *पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी: पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह **'ख'** के समकक्ष	लेवल 8 (47600-151100 रुपए)	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**पदोन्नति द्वारा:** **टिप्पणी**- एक विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को फीडर ग्रेड में दो श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा, यानी निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जैसा कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

11	12
पदोन्नति- ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा के साथ पे मैट्रिक्स लेवल **7** में (44900-142400 रुपए) में प्रशासनिक अधिकारी। **टिप्पणी:-** जहां पर कनिष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहां उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा कि आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके कनिष्ठ जिनकी अर्हक पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), आकाशवाणी : **अध्यक्ष;** 2. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), दूरदर्शन : **सदस्य;** 3. निदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), आकाशवाणी : **सदस्य**

1	2	3	4	5	6
4. प्रशासनिक अधिकारी	102*(2021) *पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। **टिप्पणी:** पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह **'ख'** के समकक्ष	लेवल 7 (44900 रुपए-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं।

7	8	9	10
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा: टिप्पणी- एक विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को फीडर ग्रेड में दो श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा, यानी निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जैसा कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

IndiaCode

11	12
पदोन्नति: ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रुपये) में प्रधान लिपिक या सहायक। **टिप्पणी:-** जहां पर कनिष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहां उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा कि आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके कनिष्ठ जिनकी अर्हक पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), आकाशवाणी : **अध्यक्ष;** 2. उप महानिदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), दूरदर्शन : **सदस्य;** 3. निदेशक (मानव संसाधन) या (प्रशासन), आकाशवाणी : **सदस्य**

1	2	3	4	5	6
5. लेखा अधिकारी	4*(2021) *पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। **टिप्पणी:** पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह **'ख'** के समकक्ष	लेवल 7 (44900 रुपए-142400 रुपए)	लागू नहीं।	लागू नहीं।

7	8	9	10
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा

11	12
<u>प्रतिनियुक्ति:</u> किसी भी संगठित लेखा विभाग या सेवा के लेखा कर्मी: (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) पे मैट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रुपये) में पद पर पांच साल की नियमित सेवा के साथ। **टिप्पणी 1.-** इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व किसी अन्य पूर्व संवर्ग बाहय पद पर केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 2.-** प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं।

मुक्ता गोयल, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./253/2021-22]

IndiaCode

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

No. N -10 /12 / 2013-PPC/PBRB-. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied posts) Service Regulations, 2002 and Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Recruitment of Officers and Employees of the Corporation Regulations, 2016, in so far as they relate to the post of Deputy Director (Administrative Training), Staff Training School (Programme) under the category of Senior Administrative and Allied Posts, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Corporation with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement .– (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied Posts) Recruitment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of posts, their classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

5. **Seniority** - The inter-se seniority of employees who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

6**. Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. **Power to relax** – Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. **Saving** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
1. Deputy Director of Administration (Headquarters)	15*(2021) *Subject to variation dependent on workload **Note:** The number of posts is the total number of the	Equivalent to Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

	posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract or absorption)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
11	12
Deputation (including short-term contract or absorption): Officers of the Central Government, State Governments, Union territories Administrations, autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings:- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 10 (Rs. 56100-17750) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years service rendered after appointment to the post on regular basis in level 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department, and; (b) possessing three years experience in general administration or establishment, human resource development and personnel or staff matters, security and vigilance. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not be exceeding three years. **Note 2**.- The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3.** - The Central Government or State Government officers shall only be considered for absorption.	Not applicable.

IndiaCode

1	2	3	4	5	6
2. Deputy Director of Administration (Field Offices)	16*(2021) *Subject to variation dependent on workload Note: The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Equivalent to Group 'A'.	Level 11 (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Two years	Promotion failing which by deputation (including short term contract) **Note:** For promotion, the vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.

11	12
Promotion: Inspector of Accounts or Senior Administrative Officer in level 8 (Rs. 47,600-1,51,100/-) in pay matrix with six years regular service; or Administrative Officer in level 7 (Rs. 44900- 142400) in pay matrix with seven years regular service. **Note:** - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administrations, autonomous bodies or statutory organizations or public sector undertakings: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with fiveyears service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 10 (Rs. 56100-17750) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years service rendered after appointment to the post on regular basis in level 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department, and; (b) possessing three years experience in general administration, establishment, human resource	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1.Chief Executive Officer, Prasar Bharati – Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member; 3. Director General, Akashvani – Member; 4. Director General, Doordarshan – Member.

IndiaCode

development and personnel or staff matters, cash, accounts and budget work, stores management and inventory control, staff associations or unions, security and vigilance. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not be exceeding three years. **Note 2.-** The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	

1	2	3	4	5	6
3. Inspector of Accounts / Senior Administrative Officer	45*(2021) *Subject to variation dependent on workload. Note: The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Equivalent to Group 'B'.	level 8 (Rs. 47600-151100).	Selection.	Not applicable.

IndiaCode

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By promotion. **Note:** The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.

11	12
Promotion : Administrative Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the grade. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Akashvani : Chairperson; 2. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Doordarshan : Member; 3. Director (Human Resource) or (Administration), Akashvani : Member.

1	2	3	4	5	6
4. Administrative Officer	102*(2021) *Subject to variation dependent on workload. **Note:** The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Equivalent to Group 'B'.	level 7 (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	By promotion: **Note**: The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.

11	12
Promotion : Head Clerk or Assistant in level 6 (Rs. 35400-112400) in pay matrix with five years regular service in the grade. **Note:** - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Akashvani : Chairperson; 2. Deputy Director General (Human Resource) or (Administration), Doordarshan : Member; 3. Director (Human Resource) or (Administration), Akashvani : Member.

IndiaCode

1	2	3	4	5	6
5. Accounts Officer	4*(2021) *Subject to variation dependent on workload. **Note**: The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Equivalent to Group 'B'.	level 7 (Rs. 44900-142400).	Not applicable.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation

11	12
Deputation **:** Accounts Personnel from any of the organised Accounts Departments or services: (i) holding analogous post on regular basis; Or (ii) with five years regular service in post in level 6 (Rs. 35400 – 112400) in the pay matrix. **Note 1.-** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not be exceeding three years. **Note 2.-** The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Not applicable.

MUKTA GOEL, Addl. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./253/2021-22]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.11 11:30:32 +05'30'